उत्तर प्रदेश शासन

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-77/2019/1099/92-2-19-11जांच/2017

लखनऊ:: दिनांक:: 22 मई,2019

कार्यालय-ज्ञाप

जनपद मैनपुरी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग विभाग द्वारा कराये गये कतिपय निर्माण कार्यो के तकनीकी प्राक्कलनों की स्वीकृति में की गयी गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं के फलस्वरूप परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 3,44,577.00 हेतु प्रथम द्रष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-36/2017/270/92-2-2017-11जांच/17 दि0 01-03-2017 द्वारा श्री गुलाम रसूल, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप पत्र देकर उनके विरूद्ध सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-351ए के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर को पदेन जॉच अधिकारी नामित किया गया। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परि0-कानपुर के पत्रांक-1793/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जांच/गुलाम रसूल/सहा0अभि0/2016-17 दिनांक 17-03-2017 द्वारा मय साक्ष्यों सहित आरोप पत्र तामील कराया गया, जिसके क्रम में अपचारी अधिकारी, श्री गुलाम रसूल द्वारा अपना प्रतिउत्तर दिनांक 12-04-2017 द्वारा पंजीकृत डाक से जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-कानपुर को उपलब्ध कराया गया, जो दिनांक 26-04-2017 को प्राप्त हुआ। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-कानपुर ने नियमानुसार जांच कार्यवाही पूर्ण कर पत्रसं0-524/ग्रा0अ0वि0/एस0टी0/अनु0जां0/श्री गुलाम रसूल/सहा0अभि0/17-18 दिनांक 23-06-2017 द्वारा जांच आख्या शासन में उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी अधिकारी, श्री गुलाम रसूल पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में से सभी आरोप सिद्ध पाये गये। सिद्ध पाये गये आरोपों का विवरण निम्नवत है :-

आरोप संख्या-1

श्री गुलाम रसूल द्वारा सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी के पद पर कार्यरत रहते हुये विकास खण्ड-मैनपुरी के अंतर्गत घिरोर कुरावली मार्ग से डोरा बंजारा होते हुये पंचम सिंह के मकान तक 500 मी0 में डामरीकरण मार्ग निर्माण कार्य का प्राक्कलन सं0-104/ई0ई0 दिनांक 26.09.2012 मु0 रू0 18.721 लाख स्वीकृत किया गया। स्वीकृत प्राक्कलन में क्वेरी रेट में से लोडिंग चार्ज घटाया जाता है, परन्तु आर0एम0आर0 बनाते समय यह चार्ज नहीं घटाया गया है, कार्टेज देने हेतु न्यूनतम दूरी नहीं लेना, व्यापार कर केवल क्वेरी रेट पर दिया जाना चाहिए, परन्तु स्वीकृत प्राक्कलन में कार्टेज को जोडकर आयी दर पर व्यापार कर की गणना की गयी है। जिसके अनुसार उक्त कार्य का भुगतान भी किया गया है जिससे निम्न विवरण के अनुसार शासन को क्षति हुई-

क्र0 सं0	विवरण	प्राक्कलन में स्वीकृत दर रू0 में	नियमानुसार दी जाने वाली दर	दरों में अंतर	मात्रा (क्वाटिटी)	स्वीकृत की गयी अधिक धनराशि रू0 में।
1	कनसोलीडेशन 45-90	2491.70	2071.90	419.80	165	69267.00
2	कनसोलीडेशन	2491.70	2424.10	67.600	1125	7605.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	45-63					
3	कनसोलीडेशन 22.4-53	3099.50	2597.10	502.40	1125	56520.00
4	पी0सी0 का कार्य	159.09	141.85	17.24	1500	25860.00
5	सीलकोट का कार्य	74.36	68.62	5.74	1500	8610.00
	कार्य पर स्वीकृत अधिक धनराशि का योग					1,67,860.00

अत: श्री गुलाम रसूल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने नियमानुसार कार्य न करने व ठेकेदार को अनियमित लाभ देने के साथ-साथ शासन को मु0 रू0 1,67,860.00 की शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये उनको आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

1- प्राक्कलन में आर0एम0आर0 में क्वेरी से साइट की दूरी अधिक लगाने का आरोप लगाया गया है जो सही नही है वाकोली अथवा खेडा राठोर में क्वेरी एक ही स्थान पर स्थिति नही है। वाकोली एवं खेडा राठोर के नाम से कार्यस्थल पर दसियों क्वेरियां है जिनकी पारस्परिक दूरी में भी कई किमी0 का अंतर है एक क्वेरी पर सामग्री न मिलने पर ट्रक को किसी दूसरी अथवा तीसरी से लोड करना पडता है।

2- झांसी क्वेरी हेतु प्रथम बार ग्वालियर से क्वेरी 109 कि0मी0 पुन: ग्वालियर से क्वेरी 120 किमी0 दिखा कर गणना की गयी है दरअसल 120 किमी0 की दूरी ग्वालियर क्वेरी से न होकर ग्वालियर से इटावा तक की है जो कि गलती से ग्वालियर क्वेरी कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्ट हो गयी है। उल्लेखनीय यह भी है कि निर्माण कार्य के दौरान, करहल धिरौर किशनी मार्ग पूरी तरह से सुदृढीकरण व चौडीकरण करने हेतु क्षतिग्रस्त था, जिस पर लोडिग वाहन चलाना सुगम न था, क्योंकि कार्यस्थल मुख्य मार्ग पर न होकर अन्दरूनी दूरूह रास्तों पर गांव में होते है जहां पर निर्माण सामग्री को ले जाना आसान नही होता हैं वस्तुत: सही दूरियॉ की गाना साइट अवर अभियंता द्वारा सर्वे के आधार पर निर्धारित की जाती है, सामग्री की पहुंच हेतु सुगम रास्तोंको प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है। इसमें श्री गुलाम रसूल कोई गलत नियत नही है।

3- प्रखण्ड-मैनपुरी के संगणक द्वारा आर0एम0आर0 चैक करते समय लाल स्याही से रेट को काटकर सही किया गया है, परन्तु इसके उपरांत भी गणना संगणक द्वारा संशोधित रेट पर न होकर पूर्व लिखे रेटों पर ही अधिशासी अभियंता द्वारा करायी गयी है इसमें श्री रसूल की कोई भूमिका नही हैं आर0एम0आर0 रेटों को/प्राक्कलनों की स्वीकृति करने का अधिकार भी उनके अधिकार क्षेत्र में नही है। इस अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता ही जिम्मेदार है।

4- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के पैरा-94 के अनुसार अधिशासी अभियंता ही खण्ड की सभी वित्तीय अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार है तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 के विवरण पत्र 17(4) के अनुसार प्राक्कलन स्वीकृति करने के लिये अधिशासी अभियंता ही सक्षम अधिकारी है इसमें श्री गुलाम रसूल, सहायक अभियंता की कोई भूमिका नही है।

अत: इस अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता ही जिम्मेदार है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- शिकायतकर्ता श्री दिनेश चन्द्र, तत्का0 खण्डीय लेखाधिकारी, मैनपुरी द्वारा इस अनियमितताके लिये अधिशासी अभियंता को ही जिम्मेदार मानते हुये कार्यवाही के लिये लिखा है।

6- इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता, आगरा परिमण्डल-आगरा द्वारा की गयी जांचों में उनके पत्रांक-720/ग्रा0अ0वि0/शि0-मैनपुरी श्री परवेज/16-17 दि0 08.07.2016 के द्वारा इस वित्तीय अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता व संगणक/अवर अभियंता तकनीकी को ही जिम्मेदार ठहराया गया है।

7- प्रकरण को तीन साल गुजरने के बाद प्रकाश में लाये जाने से सिद्धि होता है कि श्री परवेज अधिशासी अभियंता के प्रखण्डीय कार्यालय में अधीनस्थ सहायकों/अधिकारियों के मध्य सबंध सामान्य नही रहे तथा आपसी सामंजस्य व संवादहीनता रही अन्यथा प्रखण्डीय कार्यालय के संबंधित सहायक/अधिकारी द्वारा संज्ञान में होते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा उन्हें (उपखण्ड कार्यालय को) न कोई पत्र लिखा और न ही प्राक्कलन सही करने हेतु लौटाये गये और अंत में श्री रसूल द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्णित कार्य स्वीकृत प्राक्कलन दरों के अनुसार किसी व्यक्तिगत रूप से किसी खास ठेकेदार से नही कराये गये बल्कि उपरोक्त कार्यो के खुले टेण्डर किये गये हैं ठेकेदारों द्वारा दिये गये टेण्डरों में से सबसे कम दरों पर दिये गये रेट के आधार पर कार्य कराये गये है। प्राय: देखने में आता है कि ठेकेदारोंद्वारा स्वीकृति प्राक्कलनों की दरों से 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत कम दरों पर रेट डाले जाते हैं अथवा 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अधिक दरों पर रेट डाले जाते है। इसका अभिप्राय यह नही होता है कि प्राक्कलन गलत बनाया गया है। प्राक्कलन में केवल अनुमानित लागत प्रदर्शित होती है न कि सटीक लागत। अत: शासन को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है और न ही क्षति पहुंचाने की नियम/प्रयास रहा है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

आरोप सं0-1 के अनुसार अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव प्रतिउत्तर में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। मात्र दूसरों पर दोषारोपण किया गया है, जबकि नियमानुसार क्वेरी रेट से लोडिंग चार्ज हटाया जाता है, जो कि 19.00 रू0 प्रतिधन मी0 जैसा कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल्-आगरा द्वारा अपनी जॉच आख्या में वर्णित किया है, एवं नियमानुसार कार्टेज देते हुये न्यूनतम दूरी की गणना की जाती है, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा ऐसा नही किया गया है जबकि आर0एम0आर0 अवर अभियंता द्वारा बनाने के उपरान्त सहायक अभियंता द्वारा अपने स्तर से चेक करने के उपरान्त अग्रसारित की जाती है। अत: अपचारी अधिकारी का यह कथन कि आर0एम0आर0 में रेटो को स्वीकृत करने का अधिकार उनके अधिकार क्षेत्र में नही है, एवं दूरी की गणना अवर अभियंता के सर्वे के अनुसार की ही जाती है। स्वीकार्य नही है। अभियंत्रण विभाग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार दरों के विश्लेषण प्रथम दृष्टया सहायक अभियंता द्वारा परीक्षणोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित की जाती है।

अत: आरोप संख्या-1 में शासन को मु0 रू0 1,67,860.00 लाख रू0 की शासकीय क्षति पहुचाने के लिये अपचारी अधिकारी नियमानुसार भाग्यांश दोषी प्रतीत होते है।

<u>जांच का निष्कर्ष</u>

अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-1 सिद्ध होता है।

<u>आरोप संख्या-2</u>

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

श्री गुलाम रसूल द्वारा सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी के पद पर रहते हुये विधान सभा किशनी के अंतर्गत रामनरेश यादव फौजी के मकान से ब्योली कटरा निहालपुर लिंक मार्ग से गंगदासपुर तक 400 मी0 में डामरीकरण मार्ग निर्माण कार्य का प्राक्कलन संख्या-105/ई0ई0/दिनांक 26.09.2012 मु0 रू0 15.78 लाख स्वीकृत किया गया। स्वीकृत प्राक्कलन में क्वेरी रेट में से लोडिंग चार्ज घटाया जाता है, परन्तु आर0एम0आर0 बनाते समय यह चार्ज नही घटाया गया है, कार्टेज देने हेतु न्यूनतम दूरी नहीं लेना, व्यापार कर केवल क्वेरी रेट पर दिया जाना चाहिये परन्तु स्वीकृत प्राक्कलन में कार्टेज को जोड़कर आयी दर में व्यापार कर की गणना की गयी है, जिसके अनुसार उक्त कार्य का भुगतान भी किया गया है, जिससे निम्न विवरण के अनुसार शासन को क्षति हुई-

क्र0 सं0	विवरण	प्राक्कलन में स्वीकृत दर रू0 में	नियमानुसार दी जाने वाली दर	दरों में अंतर	मात्रा (क्वाटिटी)	स्वीकृत की गयी अधिक धनराशि रू0 में।
1	कनसोलीडेशन 45-90	2491.70	2200.40	291.30	165	48064.50
2	कनसोलीडेशन 45-63	2717.60	2551.70	165.90	112.5	18663.75
3	कनसोलीडेशन 22.4-53	3099.50	2686.00	413.50	112.5	46518.75
4	पी0सी0 का कार्य	159.09	146.68	12.41	1500	18615.00
5	सीलकोट का कार्य	74.36	70.74	3.62	1500	5430.00
	कार्य पर स्वीकृत अधिक धनराशि का योग					1,37,292.00

अत: श्री गुलाम रसूल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने, नियमानुसार कार्य न करने व ठेकेदार को अनियमित लाभ देने के साथ-साथ शासन को मु0 रू0 1,37,292.00 रू0 की शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये उनको आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

1- प्राक्कलन में आर0एम0आर0 में क्वेरी से साइट की दूरी अधिक लगाने का आरोप लगाया गया है जो सही नही है वाकोली अथवा खेडा राठोर में क्वेरी एक ही स्थान पर स्थिति नही है। वाकोली एवं खेडा राठोर के नाम से कार्यस्थल पर दसियों क्वेरियां है जिनकी पारस्परिक दूरी में भी कई किमी0 का अंतर है एक क्वेरी पर सामग्री न मिलने पर ट्रक को किसी दूसरी अथवा तीसरी से लोड करना पडता है।

2- झांसी क्वेरी हेतु प्रथम बार ग्वालियर से क्वेरी 109 कि0मी0 पुन: ग्वालियर से क्वेरी 120 किमी0 दिखा कर गणना की गयी है दरअसल 120 किमी0 की दूरी ग्वालियर क्वेरी से न होकर ग्वालियर से इटावा तक की है जो कि गलती से ग्वालियर क्वेरी कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्ट हो गयी है। उल्लेखनीय यह भी है कि निर्माण कार्य के दौरान, करहल धिरौर किशनी मार्ग पूरी तरह से सुदृढीकरण व चौडीकरण करने हेतु क्षतिग्रस्त था, जिस पर लोडिग वाहन चलाना सुगम न था,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क्योंकि कार्यस्थल मुख्य मार्ग पर न होकर अन्दरूनी दूरूह रास्तों पर गांव में होते है जहां पर निर्माण सामग्री को ले जाना आसान नही होता हैं वस्तुत: सही दूरियॉ की गाना साइट अवर अभियंता द्वारा सर्वे के आधार पर निर्धारित की जाती है, सामग्री की पहुंच हेतु सुगम रास्तोंको प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है। इसमें श्री गुलाम रसूल की कोई गलत नियत नही है।

3- प्रखण्ड-मैनपुरी के संगणक द्वारा आर0एम0आर0 चैक करते समय लाल स्याही से रेट को काटकर सही किया गया है, परन्तु इसके उपरांत भी गणना संगणक द्वारा संशोधित रेट पर न होकर पूर्व लिखे रेटों पर ही अधिशासी अभियंता द्वारा करायी गयी है इसमें श्री रसूल की कोई भूमिका नही हैं आर0एम0आर0 रेटों को/प्राक्कलनों की स्वीकृति करने का अधिकार भी श्री रसूल के अधिकार क्षेत्र में नही है। इस अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता ही जिम्मेदार है।

4- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के पैरा-94 के अनुसार अधिशासी अभियंता ही खण्ड की सभी वित्तीय अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार है तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 के विवरण पत्र 17(4) के अनुसार प्राक्कलन स्वीकृति करने के लिये अधिशासी अभियंता ही सक्षम अधिकारी है इसमें श्री गुलाम रसूल, सहायक अभियंता की कोई भूमिका नही है।

अत: इस अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता ही जिम्मेदार है।

5- शिकायतकर्ता श्री दिनेश चन्द्र, तत्का0 खण्डीय लेखाधिकारी, मैनपुरी द्वारा इस अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता को ही जिम्मेदार मानते हुये कार्यवाही के लिये लिखा है।

6- इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता, आगरा परिमण्डल-आगरा द्वारा की गयी जांचों में उनके पत्रांक-720/ग्रा0अ0वि0/शि0-मैनपुरी श्री परवेज/16-17 दि0 08.07.2016 के द्वारा इस वित्तीय अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता व संगणक/अवर अभियंता तकनीकी को ही जिम्मेदार ठहराया गया है।

7- प्रकरण को तीन साल गुजरने के बाद प्रकाश में लाये जाने से सिद्धि होता है कि श्री परवेज अधिशासी अभियंता के प्रखण्डीय कार्यालय में अधीनस्थ सहायकों/अधिकारियों के मध्य सबंध सामान्य नही रहे तथा आपसी सामंजस्य व संवादहीनता रही अन्यथा प्रखण्डीय कार्यालय के संबंधित सहायक/अधिकारी द्वारा संज्ञान में होते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा उन्हें (उपखण्ड कार्यालय को) न कोई पत्र लिखा और न ही प्राक्कलन सही करने हेतु लौटाये गये और अंत में श्री रसूल द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्णित कार्य स्वीकृत प्राक्कलन दरों के अनुसार किसी व्यक्तिगत रूप से किसी खास ठेकेदार से नही कराये गये बल्कि उपरोक्त कार्यो के खुले टेण्डर किये गये हैं ठेकेदारों द्वारा दिये गये टेण्डरों में से सबसे कम दरों पर दिये गये रेट के आधार पर कार्य कराये गये है। प्राय: देखने में आता है कि ठेकेदारों द्वारा स्वीकृति प्राक्कलनों की दरों से 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत कम दरों पर रेट डाले जाते हैं अथवा 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अधिक दरों पर रेट डाले जाते है। इसका अभिप्राय यह नही होता है कि प्राक्कलन गलत बनाया गया है। प्राक्कलन में केवल अनुमानित लागत प्रदर्शित होती है न कि सटीक लागत। अत: शासन को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है और न ही क्षति पहुंचाने की नियम/प्रयास रहा है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

आरोप सं0-2 के अनुसार अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव प्रतिउत्तर में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। मात्र दूसरों पर दोषारोपण किया गया है, जबकि नियमानुसार क्वेरी रेट से लोडिंग चार्ज हटाया जाता है, जो कि 19.00 रू0 प्रतिधन मी0 जैसा कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग, परिमण्डल्-आगरा द्वारा अपनी जॉच आख्या में वर्णित किया है, एवं नियमानुसार कार्टेज देते हुये न्यूनतम दूरी की गणना की जाती है, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा ऐसा नही किया गया है जबकि आर0एम0आर0 अवर अभियंता द्वारा बनाने के उपरान्त सहायक अभियंता द्वारा अपने स्तर से चेक करने के उपरान्त अग्रसारित की जाती है। अत: अपचारी अधिकारी का यह कथन कि आर0 एम0आर0 में रेटो को स्वीकृत करने का अधिकार उनके अधिकार क्षेत्र में नही हे, एवं दूरी की गणना अवर अभियंता के सर्वे के अनुसार की ही जाती है। स्वीकार्य नही है। अभियंत्रण विभाग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार दरों के विश्लेषण प्रथम दृष्टया सहायक अभियंता द्वारा परीक्षणोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित की जाती है।

अत: आरोप संख्या-2 में शासन को मु0 रू0 1,37,292.00 लाख रू0 की शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये अपचारी अधिकारी नियमानुसार भाग्यांश दोषी प्रतीत होते है।

<u>जांच का निष्कर्ष</u>

अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-2 सिद्ध होता है।

<u>आरोप संख्या-3</u>

श्री गुलाम रसूल द्वारा सहायक अभियंता, प्रखण्ड-मैनपुरी के पद पर रहते हुये विकास खण्ड-करहल के अंतर्गत नगला तुला तरौलिया मार्ग से उटैया मार्ग के शेष भाग 300 मी0 में डामरीकरण नाली सहित मार्ग निर्माण कार्य का प्राक्कलन सं0-197/ई0ई0/दिनांक 18.04.2013 मु0 रू0 10.878 लाख स्वीकृत किया गया। स्वीकृत प्राक्कलन में क्वेरी रेट में से लोडिंग चार्ज घटाया जाता है, परन्तु आर0एम0आर0 बनाते समय यह चार्ज नही घटाया गया है, कार्टेज देने हेतु न्यूनतम दूरी नहीं लेना, व्यापार कर केवल क्वेरी रेट पर दिया जाना चाहिये परन्तु स्वीकृत प्राक्कलन में कार्टेज को जोड़कर आयी दर में व्यापार कर की गणना की गयी है, जिसके अनुसार उक्त कार्य का भुगतान भी किया गया है, जिससे निम्न विवरण के अनुसार शासन को क्षति हुई-

क्र0 सं0	विवरण	प्राक्कलन में स्वीकृत दर रू0 में	नियमानुसार दी जाने वाली दर	दरों में अंतर	मात्रा (क्वाटिटी)	स्वीकृत की गयी अधिक धनराशि रू0 में।
1	कनसोलीडेशन 45-90	2297.50	2071.90	225.60	99	22334.40
2	कनसोलीडेशन 45-63	2426.20	2424.10	2.10	67.50	141.75
3	कनसोलीडेशन 22.4-53	2757.00	2597.10	159.90	67.50	10793.25
4	पी0सी0 का कार्य	157.64	154.09	3.55	900.00	3195.00
5	सीलकोट का कार्य	67.30	64.01	3.29	900.00	2961.00
	कार्य पर स्वीकृत अधिक धनराशि का योग					39,425.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अत: श्री गुलाम रसूल द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करने नियमानुसार कार्य न करने व ठेकेदार को अनियमित लाभ देने के साथ-साथ शासन को मु0 रू0 39,425.00 रू0 की शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये उनको आरोपित किया गया।

<u>अपचारी अधिकारी का बचाव उत्तर</u>

1- प्राक्कलन में आर0एम0आर0 में क्वेरी से साइट की दूरी अधिक लगाने का आरोप लगाया गया है जो सही नही है वाकोली अथवा खेडा राठोर में क्वेरी कार्यस्थल पर दसियों क्वेरियां है जिनकी पारस्परिक दूरी में भी कई किमी0 का अंतर है एक क्वेरी पर सामग्री न मिलने पर ट्रक को किसी दूसरी अथवा तीसरी से लोड करना पडता है।

2- झांसी क्वेरी हेतु प्रथम बार ग्वालियर से क्वेरी 109 कि0मी0 पुन: ग्वालियर से क्वेरी 120 किमी0 दिखा कर गणना की गयी है दरअसल 120 किमी0 की दूरी ग्वालियर क्वेरी से न होकर ग्वालियर से इटावा तक की है जो कि गलती से ग्वालियर क्वेरी कम्प्यूटर द्वारा प्रिन्ट हो गयी है। उल्लेखनीय यह भी है कि निर्माण कार्य के दौरान, करहल धिरौर किशनी मार्ग पूरी तरह से सुदृढीकरण व चौडीकरण करने हेतु क्षतिग्रस्त था, जिस पर लोडिग वाहन चलाना सुगम न था, क्योंकि कार्यस्थल मुख्य मार्ग पर न होकर अन्दरूनी दूरूह रास्तों पर गांव में होते है जहां पर निर्माण सामग्री को ले जाना आसान नही होता हैं वस्तुत: सही दूरियॉ की गणना साइट अवर अभियंता द्वारा सर्वे के आधार पर निर्धारित की जाती है, सामग्री की पहुंच हेतु सुगम रास्तोंको प्राथमिकता देना आवश्यक हो जाता है। इसमें श्री गुलाम रसूल की कोई गलत नियत नही है।

3- प्रखण्ड-मैनपुरी के संगणक द्वारा आर0एम0आर0 चैक करते समय लाल स्याही से रेट को काटकर सही किया गया है, परन्तु इसके उपरांत भी गणना संगणक द्वारा संशोधित रेट पर न होकर पूर्व लिखे रेटों पर ही अधिशासी अभियंता द्वारा करायी गयी है इसमें श्री रसूल की कोई भूमिका नही हैं आर0एम0आर0 रेटों को/प्राक्कलनों की स्वीकृति करने का अधिकार भी श्री रसूल के अधिकार क्षेत्र में नही है। इस अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता ही जिम्मेदार है।

4- वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के पैरा-94 के अनुसार अधिशासी अभियंता ही खण्ड की सभी वित्तीय अनियमितताओं के लिये जिम्मेदार है तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-1 के विवरण पत्र 17(4) के अनुसार प्राक्कलन स्वीकृति करने के लिये अधिशासी अभियंता ही सक्षम अधिकारी है इसमें श्री गुलाम रसूल, सहायक अभियंता की कोई भूमिका नही है।

अत: इस अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता ही जिम्मेदार है।

5- शिकायतकर्ता श्री दिनेश चन्द्र, तत्का0 खण्डीय लेखाधिकारी, मैनपुरी द्वारा इस अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता को ही जिम्मेदार मानते हुये कार्यवाही के लिये लिखा है।

6- इसी प्रकार अधीक्षण अभियंता, आगरा परिमण्डल-आगरा द्वारा की गयी जांचों में उनके पत्रांक-720/ग्रा0अ0वि0/शि0-मैनपुरी श्री परवेज/16-17 दि0 08.07.2016 के द्वारा इस वित्तीय अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता व संगणक/अवर अभियंता तकनीकी को ही जिम्मेदार ठहराया गया है।

7- प्रकरण को तीन साल गुजरने के बाद प्रकाश में लाये जाने से सिद्धि होता है कि श्री परवेज अधिशासी अभियंता के प्रखण्डीय कार्यालय में अधीनस्थ सहायकों/अधिकारियों के मध्य सबंध सामान्य नही रहे तथा आपसी सामंजस्य व संवादहीनता रही अन्यथा प्रखण्डीय कार्यालय के संबंधित सहायक/अधिकारी द्वारा संज्ञान में होते हुये भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी तथा उन्हें (उपखण्ड कार्यालय को) न कोई पत्र लिखा और न ही प्राक्कलन सही करने हेतु लौटाये गये और

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अंत में श्री रसूल द्वारा निवेदन किया गया है कि वर्णित कार्य स्वीकृत प्राक्कलन दरों के अनुसार किसी व्यक्तिगत रूप से किसी खास ठेकेदार से नही कराये गये बल्कि उपरोक्त कार्यो के खुले टेण्डर किये गये हैं ठेकेदारों द्वारा दिये गये टेण्डरों में से सबसे कम दरों पर दिये गये रेट के आधार पर कार्य कराये गये है। प्राय: देखने में आता है कि ठेकेदारों द्वारा स्वीकृति प्राक्कलनों की दरों से 10 प्रतिशत 15 प्रतिशत, 20 प्रतिशत कम दरों पर रेट डाले जाते हैं अथवा 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 15 प्रतिशत अधिक दरों पर रेट डाले जाते है। इसका अभिप्राय यह नही होता है कि प्राक्कलन गलत बनाया गया है। प्राक्कलन में केवल अनुमानित लागत प्रदर्शित होती है न कि सटीक लागत। अत: शासन को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंची है और न ही क्षति पहुंचाने की नियम/प्रयास रहा है।

<u>जांच अधिकारी की विवेचना</u>

आरोप सं0-3 के अनुसार अपचारी अधिकारी द्वारा अपने बचाव प्रतिउत्तर में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। मात्र दूसरों पर दोषारोपण किया गया है, जबकि नियमानुसार क्वेरी रेट से लोडिंग चार्ज हटाया जाता है, जो कि 19.00 रू0 प्रतिधन मी0 जैसा कि अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल्-आगरा द्वारा अपनी जॉच आख्या में वर्णित किया है, एवं नियमानुसार कार्टेज देते हुये न्यूनतम दूरी की गणना की जाती है, परन्तु अपचारी अधिकारी द्वारा ऐसा नही किया गया है जबकि आर0एम0आर0 अवर अभियंता द्वारा बनाने के उपरान्त सहायक अभियंता द्वारा अपने स्तर से चेक करने के उपरान्त अग्रसारित की जाती है। अत: अपचारी अधिकारी का यह कथन कि आर0 एम0आर0 में रेटो को स्वीकृत करने का अधिकार उनके अधिकार क्षेत्र में नही हे, एवं दूरी की गणना अवर अभियंता के सर्वे के अनुसार की ही जाती है। स्वीकार्य नही है। अभियंत्रण विभाग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार दरों के विश्लेषण प्रथम दृष्टया सहायक अभियंता द्वारा परीक्षणोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही हेतु अग्रसारित की जाती है।

अत: आरोप संख्या-3 में शासन को मु0 रू0 39,425.00 लाख रू0 की शासकीय क्षति पहुंचाने के लिये अपचारी अधिकारी नियमानुसार भाग्यांश दोषी प्रतीत होते है।

<u>जांच का निष्कर्ष</u>

अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-3 सिद्ध होता है।

<u>अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन</u>

अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि तत्का0 लेखाधिकारी प्रखण्ड-मैनपुरी द्वारा तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी की शिकायत की गयी थी जिसकी जांच अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परि0-आगरा द्वारा की गयी। अधीक्षण अभियंता, परि0-आगरा द्वारा अपने पत्र दिनांक 08-07-2017 के द्वारा इस वित्तीय अनियमितता के लिये अधिशासी अभियंता व अवर अभियंता तकनीकी को ही जिम्मेदार ठहराया गया है जिसमें उनके सम्मिलित होने का कोई उल्लेख नहीं है तो फिर उन्हें इस जांच के आधार पर आरोपित किया गया है, के संबंध में आर0टी0आई0 से सूचना मांगी गयी है।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर द्वारा उन्हें भाग्यांश दोषी होना प्रतीत होता है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि अन्य भी दोषी होगें (अधिशासी अभियंता, अवर अभियंता, संगणक, ठेकेदार इत्यादि) किस-किस को कितना दोषी माना गया है। भाग्यांश के अनुसार उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही हुई है। उनके द्वारा स्पष्टीकरण दि0 11.09.2017 द्वारा अद्यतन स्थिति

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया था, किन्तु उन्हें आज तक इस स्थिति से अवगत नहीं कराया गया है जिसके संबंध में उनके द्वारा आर0टी0आई0 के तहत सूचना मांगी गयी है।

जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग परि0 कानपुर उन्हें दोषी प्रतीत होना पाया है। न्याय हित में प्रतीतात्मक नहीं तथ्यात्मक रूप से दोष सिद्ध किया जाना चाहिए, जो उन्होनें नहीं किया। गणतंत्र भारत में विधि का शासन है। जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, परिमण्डल-कानपुर द्वारा प्रचलित प्रक्रिया का उल्लेख किया है, जो कि न्यायके सिद्धान्त के प्रतिकूल है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-6 के पैरा-94 के अनुसार रू0 40,00,00.00 का आगणन स्वीकृत करने के लिये अधिशासी अभियंता ही सक्षम अधिकारी हैं। न्याय के सिद्धान्त के अनुसार भी अधिशासी अभियंता ही जिम्मेदार है।

क्या इस तथाकथित प्रचलित प्रक्रिया का पालन अपनी सुविधा अनुसार किसी अधिकारी को किये जाने का अधिकार प्राप्त हुआ हैं। जांच अधिकारी द्वारा लिखा गया है कि अभियंत्रण विभाग में प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार दरों के विश्लेषण प्रथम दृष्टया सहायक अभियंता द्वारा परीक्षणोपरान्त ही अग्रसारित किये जाने हैं। फिर क्यों नहीं। अधिशासी अभियंता द्वारा इस प्रचलित प्रक्रिया का पालन किया गया। उनके द्वारा अपने कार्यकाल में करोडो रूपयों के विकास खण्डों के निर्माण कार्यो के प्राक्कलन बिना सहायक अभियंता के परीक्षण/हस्ताक्षर के सीधे ही हस्ताक्षरित किये गये हैं। जो सभी मान्य है। इससे भी सिद्ध होता है कि इस संबंध में अधिशासी अभियंता ही सक्षम अधिकारी है।

अपचारी अधिकारी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि जांच अधिकारी प्रतीत शब्द का प्रयोग कर उनको प्रचलित प्रक्रिया के अनुसार दोषी मानते हैं। यह स्वीकार योग्य हैं। उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि जांच अधिकारी की विवेचना से स्वत: सिद्ध हो रहा है कि उनके द्वारा पक्षपात पूर्ण जांच की गयी है, जिससे उनके द्वारा असहमति व्यक्त कियागया है तथा यह भी अवगत कराया गया है कि श्री सुखवीर सिंह यादव के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है एवं यह भी विचारणीय है कि प्राक्कलन तैयार कर प्रस्तुत करने वाले अवर अभियंता वर्णित प्रकरण में निर्दोष है तो वे किस प्रकार दोषी हो सकते हैं। इस संबंध में लिखित सूचना आर0टी0आई0 के तहत मांगी गयी है।

अपचारी अधिकारी द्वारा उपर्युक्त से अवगत कराते हुये प्रश्नगत प्रकरण में उन्हें दोषमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- जांच अधिकारी/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-कानपुर की जांच आख्या दिनांक 23-06-2017 में अपचारी अधिकारी, श्री गुलाम रसूल पर अधिरोपित कुल 03 आरोपों में सभी आरोप स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र सं0-1090/92-2-17-11जांच/2017 दिनांक 08-08-2017 द्वारा श्री गुलाम रसूल का लिखित अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र दिनांक 01-05-2018 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया।

3- अपचारी अधिकारी के विरूद्व अधिरोपित आरोप, जॉच अधिकारी की जॉच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त पाया गया कि श्री गुलाम रसूल, तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध प्रकरण में परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 74,229.80 के लिये उत्तरदायी है। अपचारी अधिकारी, श्री गुलाम रसूल, तत्का0 सहायक अभियंता से शासकीय क्षति रू0 74,229.80 की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा सेवानैवृत्तिक देयकों से वसूली संभव न होने पर सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली किये जाने के विनिश्चित अनन्तिम दण्ड पर शासन के पत्र सं0-2382/92-2-18-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

11जांच/2017 दिनांक 12.10.2018 एवं पत्र सं0-3052/92-2-18-11जांच/2017 दिनांक 04.12.2018 द्वारा लोक सेवा आयोग की सहमति मांगी गयी, जो उनके पत्र दिनांक 02.04-2019 द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निम्नवत सहमति प्रदान की गयी :-

'' अपचारी अधिकारी, श्री गुलाम रसूल के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 74,229.80 की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा सेवानैवृतिक देयकों से वसूली संभव न होने पर सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली किया जाय। ''

4- लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति दिनांक 02-04-2019 के क्रम में श्री गुलाम रसूल, तत्का0 सहायक अभियंता, प्रखण्ड-मैनपुरी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-36/2017 /270/92-2-2017-11जांच/17 दि0 01-03-2017 द्वारा प्रचलित अनुशासनिक कार्यवाही को उनके विरूद्व परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 74,229.80 की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा सेवानैवृतिक देयकों से वसूली संभव न होने पर सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली करते हुये एतदद्वारा समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

'' ग्रामीण अभियंत्रण विभाग प्रखण्ड-मैनपुरीके कार्यकाल में कतिपय निर्माण कार्यो में की गयी वित्तीय अनियमितता के फलस्वरूप अपचारी अधिकारी, श्री गुलाम रसूल के विरूद्ध परिलक्षित शासकीय क्षति रू0 74,229.80 की वसूली उनके सेवानैवृत्तिक देयकों से तथा सेवानैवृतिक देयकों से वसूली संभव न होने पर सिविल लायवेल्टी के तहत वाद दाखिल कर उक्त धनराशि की वसूली किया जाय। ''

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-77/2019)1099/1/(92-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- उप सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 प्रयागराज को उनके पत्र सं0- /09/एसडीसी/एस-12/18-19 दि0 02.04.2019 के क्रम में।
3- श्री गुलाम रसूल तत्का0 सहायक अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-मैनपुरी सम्प्रति सेवानिवृत्त द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in